राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	297/2021 रामगोपाल बनाम गोरधन हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 16/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
16/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस समायत करते हुये आदेश दिनांक 27/07/2019 पारित करते हुये अप्रार्थीगण/रेस्पो. को अन्तरिम आदेश से पाबन्द फरमाया गया, तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण/रेस्पो. ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 04 सीपीसी का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 04 सीपीसी पर बहस समायत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 17/03/2021 पारित करते हुये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 04 सीपीसी स्वीकार कर पूर्व में जारी अन्तरिम आदेश दिनांक 27/07/2019 में शिथिलता प्रदान करते हुये प्रतिवादी सख्या 1 लगा. 5 को कब्जे काश्त एवं हक्र अधिकार की भूमि में अधुरा पड़ा मकान निर्माण करने की इजाजत प्रदान की गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियाओ की अनदेखी करते हुये प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ का परिक्षण/विवेचन किये बबीना ही अपीलाधीन आदेश के माध्यम से शिथिलता प्रदान की गयी है, जो विधिसम्मत जाहिर नही होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17/03/2021 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों की सुनवाई कर व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 3 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुये प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामगोपाल बनाम गोरधन हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ का विवेचन करते हुये विधिसम्मत आदेश पुन: पारित करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	